रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 15, 2013/माघ 26, 1934
No. 86] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 15, 2013/MAGHA 26, 1934

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2013

**सा.का.नि. 93(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और खोज खंड सहित भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (वर्ग I और वर्ग II पद) भर्ती नियम, 1967 और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (समूह 'ग' अननुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 1988, जहां तक उनका संबंध खान मंत्रालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में रसायन शाखा, समूह 'ख' और समूह 'ग' पदों से है, को उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान मंत्रालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षक, रसायन शाखा समूह 'ख' और समूह 'ग' भर्ती नियम, 2013 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम, इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

8. **पदधारी का प्रशिक्षण.**—भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षक में प्रत्येक व्यक्ति की पहली नियुक्ति और पश्चात्‌वर्ती प्रोन्नति जिसमें प्रशासनिक कारणों या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के संगठन की पुनर्संरचना के कारण विधाविशेष या शाखा में पुनर्नियोजन शामिल है, को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षक के प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित अधिष्ठापन या पुन: अभिविन्यास प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।

## अनुसूची

| पद का नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान | चयन पद है अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु-सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.सहायक रसायनज्ञ | 75*<br>*(2013) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है | साधारणकेन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित,अननुसचिवीय | वेतन बैंड-2 9300-34,800 रु. (ग्रेड वेतन 4800रु.) | चयन | तीसवर्ष से अधिक नहीं।<br><br>(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)<br>**टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।) | **आवश्यक:**<br>मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन की किसी शाखा में मास्टर डिग्री या रसायन इंजीनियरी,या प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री या<br>एसोसिएट भारतीय केमिस्ट संस्थान द्वारा प्रदत्त रसायन विषय में डिग्री या डिप्लोमा।<br>**टिप्पण 1**- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा मेंउन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।<br>**टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं,तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । |

| सीधेभर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा । | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| आयु-नहीं<br>**शैक्षिक अर्हताएं:** नहीं | सीधी भर्ती हुए व्यक्ति के लिए दो वर्ष | पचासप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा,पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। | **प्रोन्नति** : ज्येष्ठ तकनीकी सहायक(रसायन),जिनकी वेतन बैंड-2,9300-34,800 रु.+ ग्रेड वेतन 4600 रु. की श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवाहै औरदो वर्ष की आवासीय अवधि के अतिरिक्त भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित एक वर्ष का सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने का सर्टिफिकेट हो।<br>**टिप्पण1**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।<br>**टिप्पण-2** : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारीद्वारा01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है,वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । | **समूह'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए):**<br>1. निदेशक (रसायन),भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण – **अध्यक्ष**<br>2. अधीक्षण रसायनज्ञ, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण –**सदस्य**<br>3. उप निदेशक(कार्मिक एवं प्रशासन) , भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण –**सदस्य** | सीधी भर्ती के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्शकरना आवश्यक है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (रसायन) | 115* *(2013) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है | साधारण,केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुनसचिवीय | वेतन बैंड-2 9300-34,800रू. (ग्रेड वेतन. 4600 रू) | चयन | तीस वर्ष से अधिक नहीं।<br><br>(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)<br>टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बाजिले के पांगी उपखंड अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) | आवश्यक:<br>(1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन में बैचलर डिग्री ।<br>(2) प्रयोगशाला शाखा में दो वर्ष का अनुभव।<br>टिप्पण 1- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं,कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।<br>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| आयु-नहीं<br>शैक्षिक योग्यता: नहीं | सीधी भर्ती हुए व्यक्ति के लिए दो वर्ष | पचहत्तर प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और पच्चीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। | प्रोन्नति : कनिष्ठ तकनीकी सहायक(रसायन) जिनकी वेतन बैंड-2,9300-34,800रू.+ग्रेड वेतन 4200रू. की श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा है।<br>टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।<br>टिप्पण2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारीद्वारा, 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है,वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । | समूह'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए):<br><br>1. निदेशक(रसायन), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण –अध्यक्ष<br>2. अधीक्षण रसायनज्ञ, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण –सदस्य<br>3. उप निदेशक(कार्मिक एवं प्रशासन), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण – सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्शकरना आवश्यक नहीं है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.कनिष्ठ तकनीकी सहायक (रसायन) | 125* *(2013) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित,अननुसचिवीय | वेतन बैंड-2 9300-34,800रु. (ग्रेडवेतन 4200रु.) | चयन | तीस वर्ष सेअधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण**: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।) | **आवश्यक**: मान्यताप्राप्त विश्वविधाल से रसायन विषय के साथ बैचलर डिग्री । **टिप्पण-1**अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायकर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2**: अनुभव संबंधी अर्हता कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशामें उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाय, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ! |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| आयु-नहीं **शैक्षिक योग्यता**: नहीं | सीधी भर्ती और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष | दस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; जिसकेन होने पर सीधी भर्ती द्वारानब्बे प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। | **प्रोन्नति** : प्रयोगशाला सहायक श्रेणी-।(रसायन),जिनकी वेतन बैंड-1 5200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन.2800 रु की श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा है और दो वर्ष की आवससीय अवधि के अतिरिक्त भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण,प्रशिक्षण संस्थान द्वारा एक वर्ष का सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने का सर्टिफिकेट हो । **टिप्पण-1** : कनिष्ठ तकनीकी सहायक (रसायन) के पद पर प्रोन्नति के लिये पात्र सेवा इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-1 (रसायन) के पोषक पद धारण किए हुए व्यक्तियों के लिये पांच वर्ष की सेवा बनी रहेगी । **टिप्पण 2**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण-3**: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारीद्वारा 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है,वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । | समूह'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए): 1. निदेशक(रसायन),भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण **–अध्यक्ष** 2. अधीक्षण रसायनज्ञ, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण **–सदस्य** 3. उप निदेशक(कार्मिक एवं प्रशासन) , भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण – **सदस्य** | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्शकरना आवश्यक नहीं है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.प्रयोगशाला सहायक श्रेणी-I (रसायन) | 30* *(2013) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनअनुसचिवीय | वेतन बैंड-1 5200-20,200रू. (ग्रेड वेतन.2800रू) | अचयन | पच्चीस वर्ष से अधिक नहीं।<br><br>(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)<br>**टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।) | **आवश्यक:**<br>I)किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय,बोर्ड या संस्था से किसी विज्ञान विषय के साथ 12वीं या समकक्ष स्तर की परीक्षा उतीर्ण; और<br>II) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से विज्ञान या तकनीकी में कम से कम दो वर्ष का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम ।<br>**वांछनीय** :किसी विज्ञान या तकनीकी प्रयोगशाला में दो वर्ष का अनुभव।<br>**टिप्पण 1**- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।<br>**टिप्पण 2**: अनुभव संबंधी अर्हता कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएतब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| आयु-नहीं<br>शैक्षिक अर्हता: नहीं | सीधी भर्ती हुए व्यक्ति के लिए दो वर्ष | शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा,जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा | **प्रोन्नति** : प्रयोगशाला सहायक श्रेणी-II (रसायन) जिनकी वेतन बैंड-1 5200-20,200 रू.+ ग्रेड वेतन 2400 रू. की श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा है।<br>**टिप्पण 1**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।<br>**टिप्पण-2** : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारीद्वारा 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है,वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । | समूह'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए):<br>1. अधीक्षण रसायनज्ञ, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण –**अध्यक्ष**<br>2. ज्येष्ठ रसायनज्ञ, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण –**सदस्य**<br>3. उप निदेशक(कार्मिक एवं प्रशासन) , भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण – **सदस्य** | लागू नहीं होता। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.प्रयोगशाला सहायक श्रेणी-।। (रसायन)** | **45*** <br> *(2013) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड-1 5200-20,200रू. (ग्रेड वेतन 2400 रू.) | अचयन | पच्चीस वर्ष से अधिक नहीं। <br> (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) <br> **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।) | आवश्यक : <br> ।)किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या संस्था से विज्ञान समूह में 10+2 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण; और <br> ।।) किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी संस्थान से विज्ञान या प्रौद्योगिकी में कम से कम दो वर्ष का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम । <br> **टिप्पण 1**- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । <br> **टिप्पण 2**: अनुभव संबंधी अर्हता कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| आयु-नहीं <br> **शैक्षिक अर्हता**: नहीं | सीधी भर्ती हुए व्यक्ति के लिए दो वर्ष | शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा,जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा | **प्रोन्नति** : प्रयोगशाला सहायक (रसायन) श्रेणी-।।।जिनकी वेतन बैंड-।. 5200-20,200 रू+ग्रेड वेतन 1900 रू. की श्रेणी में आठवर्ष की नियमित सेवा है। <br> **टिप्पण 1**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । <br> **टिप्पण-2** : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । | समूह'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए): <br> 1. अधीक्षण रसायनज्ञ, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण **–अध्यक्ष** <br> 2. ज्येष्ठ रसायनज्ञ, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण**–सदस्य** <br> 3. उप निदेशक(कार्मिक एवं प्रशासन) , भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण – **सदस्य** | लागू नहीं होता । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.प्रयोगशाला सहायक श्रेणी-III (रसायन) | 75* *(2013) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय | वेतन बैंड-1 5200-20,200रू. (ग्रेड वेतन 1900 रू.) | अचयन | पच्चीस वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।) | आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या संस्था से विज्ञान समूह में 10+2 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण; और वांछनीय :किसी विज्ञान या तकनीकी प्रयोगशाला में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| आयु-नहीं शैक्षिक अर्हता: हां | सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष | निम्न टिप्पण में यथा वर्णित के अनुसार पचहत्तर प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा,पच्चीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा: टिप्पण: (1) पंद्रह प्रतिशत विभागीय परीक्षा द्वारा,जिसके न हो सकने पर ज्येष्ठता -सह-उपयुक्तता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा और दस प्रतिशत ज्येष्ठता -सह-उपयुक्तता पद्धति के आधार पर प्रोन्नति द्वारा,जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। (2) पंद्रह प्रतिशत परीक्षा कोटे में से पांच प्रतिशत प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भरे जाएंगे और दस प्रतिशत अर्हक/पात्रता परीक्षा द्वारा भरे जाएंगे। परीक्षा हेतु नियम महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे। | प्रोन्नति :प्रवेश स्तरसेवा के समूह "ग" कर्मचारी अर्थात् बहुकार्य कर्मचारीवृंद,जिनकी वेतन बैंड-I 5200-20,200 रू. + ग्रेड वेतन 1800 रू. की श्रेणी में तीनवर्ष की नियमित सेवाहै तथा 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण या किसी विज्ञान/ तकनीकी में दो वर्ष का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम और मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । टिप्पण-2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारीद्वारा 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है,वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । | समूह'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए): 1. अधीक्षण रसायनज्ञ, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण –अध्यक्ष 2. ज्येष्ठ रसायनज्ञ, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण –सदस्य 3. उप निदेशक(कार्मिक एवं प्रशासन), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण –सदस्य | लागू नहीं होता। |

[फा. सं. 3/3/2011-एम. II]

एस. बी. डोभल, उप-सचिव

## MINISTRY OF MINES

## NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2013

G.S.R. 93(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in suppression of the Geological Survey of India including Exploration Wing (Class I and II posts) Recruitment Rules, 1967 and Geological Survey of India (Group 'C' Non-Ministerial Posts) Recruitment Rules, 1988, in so far as they relate to Group 'B' and Group 'C' posts of Chemical Stream in the Ministry of Mines, Geological Survey of India, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement .**- (1) These rules may be called the Ministry of Mines, Geological Survey of India, Chemical Stream, Group 'B' and Group 'C', Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application .**– These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale .**- The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc..**- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.** - No Person,

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax .**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving .**- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

8. **Training of the incumbents .**- Every appointee , on his 1st appointment in Geological Survey of India and subsequent promotion including re-deployment to other discipline or stream on account of administrative reasons or re-structuring of organization of Geological Survey of India shall have to successfully complete the induction or re-orientation training conducted by Geological Survey of India Training Institute.

## SCHEDULE

| Name of post. | Number of post. | Classification. | Pay Band and Grade Pay or Pay Scale. | Whether selection post or Non-selection post. | Age limit for direct recruits. | Educational and other qualifications required for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. Assistant Chemist. | 75*<br><br>*[2013] Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial. | Pay Band- 2, Rs.9300-34800 (grade pay Rs.4800/-) | Selection. | Not exceeding thirty years.<br>(Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)<br><br>Note.- The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep) | Essential:<br>Master's Degree in any branch of Chemistry or Bachelor Degree in Chemical Engineering or Technology from a recognised University or Institution or<br>Degree or Diploma conferred by the Associate Institute of Chemist (India) in Chemistry.<br>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.<br>Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. |

| Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any. | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption is to be made. | If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Age: No.<br><br>Educational Qualification: No. | Two years for direct recruits | Fifty percent by direct recruitment, fifty percent by promotion failing which by direct recruitment. | Promotion:<br>Senior Technical Assistant (Chemical) in the pay band - 2, Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs. 4600 with two years regular service in the grade and certificate of successful completion of one year in-service training programme conducted by Geological Survey of India Training Institute over and above two years residency period.<br>Note 1 :Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.<br>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission. | Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) :<br>1. Director (Chemistry), Geological Survey of India – Chairman<br>2. Superintending Chemist, Geological Survey of India – Member<br>3. Deputy Director (Personnel and Administration), Geological Survey of India – Member | Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment. |

626 GI/13—3

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Senior Technical Assistant (Chemical) | 115* *(2013) Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group B, Non-Gazette, Non-Ministerial. | Pay Band- 2, Rs.9300-34800 (grade pay Rs.4600/-). | Selection. | Not exceeding thirty years.<br><br>(Relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)<br>Note: The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep) | Essential:<br>(i) Bachelor's Degree with Chemistry from a recognised University;<br>(ii) Two year experience in Lab stream.<br><br>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.<br><br>Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. |

| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|---|---|---|
| Age: No<br><br>Educational Qualification: No. | Two years for direct recruits. | Seventy five percent by direct recruitment, twenty five percent by promotion failing which by direct recruitment. | Promotion:<br>Junior Technical Assistant (Chemical) in the pay band -2, Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs.4200 with five years regular service in the grade.<br><br>Note 1 :Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.<br><br>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission. | Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) :<br>1. Director (Chemistry), Geological Survey of India – Chairman<br>2. Superintending Chemist, Geological Survey of India – Member<br>3. Deputy Director(Personnel and Administration), Geological Survey of India – Member | Consultation with Union Public Service Commission not necessary. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Junior Technical Assistant (Chemical). | 125* *[2013] Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group B, Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Pay Band- 2, Rs.9300-34800 (grade pay – Rs.4200/-). | Selection. | Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)<br><br>Note: The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). | Essential:<br>Bachelor Degree with Chemistry as a subject from a recognised University.<br><br>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, competent, authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.<br><br>Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. |

| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|---|---|---|
| Age: No<br><br>Educational Qualification: No. | Two years for both direct and promotees. | Ten percent by promotion failing which by direct recruitment, ninety percent by direct recruitment. | Promotion:<br>Laboratory Assistant Grade-I (Chemical) in the pay band- 1, Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs.2800 with six years regular service in the grade and certificate of successful completion of one year in-service training programme conducted by Geological Survey of India Training Institute over and above two years residency period.<br><br>Note 1: The eligibility service for promotion to the post of Junior Technical Assistant (Chemical) shall continue to be five years for persons holding the feeder posts of Laboratory Assistant Grade-I (Chemical) on regular basis on the date of notification of these rules.<br><br>Note 2 :Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.<br><br>Note 3 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission. | Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) :<br>1. Director (Chemistry), Geological Survey of India – Chairman<br>2. Superintending Chemist, Geological Survey of India – Member<br>3. Deputy Director(Personnel and Administration), GSI – Member | Consultation with Union Public Service Commission not necessary. |

626 GI/13-4

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Laboratory Assistant Grade-I (Chemical). | 30*<br><br>*(2013) Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Pay Band-1, Rs.5200-20200, (Grade Pay Rs.2800/-). | Non-Selection. | Not exceeding twenty five years.<br><br>(Relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)<br><br>Note: The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). | Essential:<br>(i) 10+2 Pass or equivalent examination in science group from a recognised University or Board or Institution ; and<br><br>(ii) At least two years Diploma or Certificate course in any Science or Technology from a recognised University or Industrial Training Institute or Institution or Board recognised by States or Central Government.<br><br>Desirable: Two years Experience in a Science or Technical Laboratory.<br><br>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.<br><br>Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. |

| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|---|---|---|
| Age: - No<br><br>Educational qualification: - No | Two years for direct recruits. | Hundred percent by promotion failing which by direct recruitment. | Promotion:<br>Laboratory Assistant Grade-II (Chemical) in the pay band -1, Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs.2400 with five years regular service in the grade.<br><br>Note 1 :Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.<br><br>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission. | Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) :<br>1. Superintending Chemist, Geological Survey of India – Chairman<br>2. Senior Chemist, Geological Survey of India – Member<br>3. Deputy Director(Personnel and Administration), Geological Survey of India – Member | Not Applicable. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Laboratory Assistant Grade-II (Chemical). | 45* *(2013) Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group C, Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Pay Band-1, Rs.5200-20200, (grade pay Rs.2400/-). | Non-Selection. | Not exceeding twenty five years.<br><br>(Relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).<br><br>Note: The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). | Essential:<br>(i) 10+2 Pass or equivalent examination in science group from a recognised University or Board or Institution; and<br><br>(ii) at least two years Diploma or Certificate course in any Science or Technology from a recognised Industrial Training Institute or any institution.<br><br>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.<br><br>Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. |

| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|---|---|---|
| Age: No<br>Educational qualification: No | Two years for direct recruits. | Hundred percent by promotion failing which by direct recruitment. | Promotion:<br>Laboratory Assistant Grade-III (Chemical) in the pay band- 1, Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs.1900 with 8 years of regular service in the grade.<br><br>Note 1 :Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.<br><br>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission. | Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) :<br>1. Superintending Chemist, Geological Survey of India – Chairman<br>2. Senior Chemist, Geological Survey of India – Member<br>3. Deputy Director(Personnel and Administration), Geological Survey of India – Member | Not applicable. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Laboratory Assistant Grade-III (Chemical). | 75* *(2013) Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group C, Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Pay Band-1, Rs.5200-20200, (grade pay Rs.1900/-). | Non-Selection. | Not exceeding twenty five years.<br><br>(Relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).<br><br>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). | Essential:<br>10+2 Pass or equivalent examination in science group from a recognised University or Board or Institution; and<br>Desirable:<br>Two years experience in a Science or Technical Laboratory.<br><br>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.<br><br>Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. |

| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|---|---|---|
| Age: No<br>Educational and other qualification: Yes. | Two years for direct recruits | Seventy five percent by direct recruitment, twenty five percent by promotion as mentioned under note.<br>Note: (i) Fifteen percent through departmental examination failing which by promotion through seniority cum fitness, both failing by direct recruitment and ten percent by promotion through seniority cum fitness method failing which by direct recruitment.<br>(ii) Out of the fifteen percent examination quota, five percent shall be filled by competitive examination and ten percent by qualifying examination. The rules for examination will be notified by the Director General, Geological Survey of India. | Promotion:<br>The entry level group 'C' staff i.e. Multi Tasking Staff, in the pay band-1, Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs. 1800/- with three years regular service in the grade and $12^{th}$ class pass or equivalent pass or minimum two years Diploma or Certificate Course in science or technical field and possessing Metric Pass or equivalent qualification, from a recognised University or Institution or Board.<br>Note 1 :Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.<br>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to $1^{st}$ January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission. | Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) :<br>1. Superintending Chemist, Geological Survey of India – Chairman<br>2. Senior Chemist, Geological Survey of India – Member<br>3. Deputy Director(Personnel and Administration), Geological Survey of India – Member | Not applicable |

[F. No. 3/3/2011-M. II]

S. B. DOVAL, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.